कार्यालय आधेष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर

शिवाजी वार्ड, तिली रोड़, सागर(म.प्र.)

फोन नं. 07582-236455
फैक्स नं. 07582-236270

क्रमांक 2794/डीन/10 सागर दिनांक 21/05/10

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
सतपुड़ा भवन, 6वीं मंजिल,
भोपाल (म.प्र.)

विषय: **सागर चिकित्सा महाविद्यालय में लैब टैक्नीशियन के चयन में कई तरह की अनियमितताएं किये जाने के संबंध में ।**

संदर्भ: संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के पत्र क्रमांक 618/5/सतर्कता/2010 भोपाल दिनांक 07/05/2010.

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के संदर्भित पत्र के साथ मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 1012/732/2010/1/55/दिनांक 29/03/2010 एवं चिकित्सा महाविद्यालय सागर में लैब टैक्नीशियन के चयन में अनियमितताऐं किये जाने के संबंध में प्रतिपक्ष नेता श्रीमती जमुना देवी, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय का पत्र संलग्न किया गया है ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न शिकायत पर चाहा गया जांच प्रतिवेदन दो प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्न: दो प्रतियों में जांच प्रतिवेदन

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर

स्वास्थ्य प्रश्न. 5111 - 4 अधि - ढब यथा
बिन्दु (8)

कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
शिवाजी वार्ड, तिली रोड़, सागर(म.प्र.)

फोन नं. 07582-236455
फैक्स नं. 07582-236270

जांच प्रतिवेदन

विषयः सागर चिकित्सा महाविद्यालय में लैब टैक्नीशियन के चयन में कई तरह की अनियमितताए किये जाने के संबंध में ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के पत्र क्रमांक 618/5/सतर्कता/2010 भोपाल दिनांक 07/05/2010 के साथ मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 1012/732/2010/1/55/दिनांक 29/03/2010 एवं चिकित्सा महाविद्यालय सागर में लैब टैक्नीशियन के चयन में अनियमितताऐं किये जाने के संबंध में प्रतिपक्ष नेता श्रीमती जमुना देवी, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की शिकायत संलग्न है । शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन चाहा गया है । शिकायत पत्र पर उठाये गये बिन्दुओं की जानकारी निम्नुनसार है :-

1. बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में अवगत किया जाता है कि दिनांक 18/02/2010 को लैब टैक्नीशियन पद की चयन सूची जारी की गई थी । महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दूसरी कोई सूची नहीं लगाई गई है और न ही कोई नाम परिवर्तित किया गया है ।
2. बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में अवगत किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं था । भर्ती नियमों का पालन करते हुये भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है ।
3. बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में कथन है कि समस्त चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की संस्था स्तर से जांच की गई है एवं जारीकर्ता संस्था से भी इनके दस्तावेजों की जांच कराई जावेगी । यदि किसी चयनित अभ्यर्थी का दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
4. बिन्दु क्रमांक 04 के संबंध में अवगत किया जाता है कि लैब टैक्नीशियन पद पर चयन समिति की अनुशंसा उपरांत चयन किये गये हैं । चयन समिति द्वारा 12वीं के प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत (प्रोराटा के आधार पर), अनुभव 10 अंक एवं साक्षात्कार 20 अंक, कुल अंक 100 में से अभ्यर्थियों को अंक प्रदाय किये जाते हैं एवं कुल अंकों के योग के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । अवगत किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से की गई है एवं अभ्यर्थियों का चयन मेरिट, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया गया है ।
5. बिन्दु क्रमांक 05 के संबंध में अवगत किया जाता है कि चयन प्रक्रिया के दौरान अनुभव के अधिकतम 10 अंक निर्धारित किये गये थे । एक वर्ष का अनुभव होने पर 02 अंक प्रदान किये जाते हैं ।
6. बिन्दु क्रमांक 06 के संबंध में अवगत किया जाता है कि चूंकि लैब टैक्नीशियन पद हेतु नवीन विज्ञापन जारी किया गया था । नवीन विज्ञापन जारी होने के पश्चात् पिछले वर्ष की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाती है ।
7. बिन्दु क्रमांक 07 के संबंध में अवगत किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया सेवा भर्ती नियमों का पालन करते हुये संपन्न की गई है ।
8. बिन्दु क्रमांक 08 के संबंध में अवगत किया जाता है कि चयन प्रक्रिया के दौरान अनुभव के अधिकतम 10 अंक निर्धारित किये गये थे । एक वर्ष का अनुभव होने पर 02 अंक प्रदान किये जाते हैं ।

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर